299

प्र/निग0/सीधी/2018/0180/

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0, कैम्प कोर्ट रीवा, जिला रीवा

शिवाकान्त उपाध्याय तनय स्व0 शिवमोहन प्रसाद उपाध्याय उम्र 52 वर्ष,
पेशा खेती, निवासी झाला, तह0 रामपुर नैकिन, जिला सीधी म0प्र0
---- निगरानीकर्ता

अधि0 श्री महेश तिवारी
द्वारा पेश/15-3-18

बनाम

1- प्रदीप कुमार पाध्याय पिता श्री रविकृष्ण उपाध्याय उम्र 46 वर्ष, पेशा खेती
निवासी झाला, तह0 रामपुर नैकिन जिला सीधी म0प्र0
2:- म0प्र0 शासन द्वारा जिलाध्यक्ष महोदय जिला सीधी म0प्र0
--- गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश कलेक्टर महोदय सीधी
के प्र0क्र0 0003 स्वमेव / निग0/ 16-17 मे पारित
आदेश दि0 19-2-2018

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू रा0 सं0 1959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

1:- यहकि अधी0 न्यायालय का आदेश दि0 19-2-2018 विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2:- अधी0 न्यायालय के समक्ष निगरानीकर्ता ने इस आशय का आपत्ति का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि स्वमेव निगरानी की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार अधी0 न्यायालय को नही है क्योकि तहसीलदार के मूल आदेश के विरुद्ध अपील होना चाहिये था और अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने अपील की सुनवाई न कर स्वमेव निगरानी हेतु दि0 21-7-2017 आदेश पारित कर दिया जिस कारण अधी0 न्यायालय स्वमेव निगरानी सुनने का अधिकार नही है क्योकि मूल आदेश दि0 21-1-2000 के 17 वर्ष बाद निगरानी की सुनवाई हो रही है जो समय सीमा से बाहर

(299)

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक. II / निग0 / सीधी / 2018 / 1801 जिला सीधी

शिवाकान्त उपाध्याय / प्रदीप कुमार उपाध्याय

| (1) | (2) |
| --- | --- |
| 18-10-18 | 1. आवेदक की ओर से श्री सुशील शुक्ला अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 003 / स्वमेव / निगरानी / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 19.02.18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 18.01.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।<br><br>सदस्य |

N.J. 18/1/19